2025 का विधेयक सं.10

राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए; तथा उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 और कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अध्याय 2

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 में संशोधन

2. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 24 का संशोधन.- राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"24. न्यास के लिए पृथक् सामान्य सेवा सृजित करने की शक्ति.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट

किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रशासन और शासन में एकरूपता सुनिश्चित करते हुए, न्यास के लिए एक पृथक् सामान्य सेवा सृजित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार को उप-धारा (1) के अधीन सृजित सेवा की नाम पद्धति, संरचना और काडर सदस्य-संख्या अवधारित करने की शक्ति होगी और वह समय-समय पर उसे, जैसा वह समुचित समझे, उपांतरित या पुनरीक्षित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, इस धारा के अधीन सृजित सेवा के संबंध में,-

(क) पदों के सृजन, उनके वर्गीकरण, नियंत्रण और भर्ती, पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति सहित सेवा के निबंधनों और शर्तों को मंजूर कर सकेगी; और

(ख) सेवाओं में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं, नियुक्ति की रीतियां और कर्तव्य आदि विहित करते हुए इस धारा के अधीन सृजित सेवाओं पर लागू सामान्य सेवा नियमों को विरचित और प्रवर्तित कर सकेगी।"।

3. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 74 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 74 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (ग) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (घ) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड (गग) अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(गग) न्यास की किसी सेवा की सदस्य संख्या, वेतन, शर्तें और परिलब्धियां, भर्ती, छुट्टी मंजूर करने, किसी कर्मचारी की अवचार के लिए परिनिन्दा करने, अवनत करने, निलम्बित करने, या पदच्युत करने, उन्हें सेवाओं से अभिमुक्त करने, और धारा 24 के अधीन किसी अन्य कारण के लिए;"।

4. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 77–क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 77 के पश्चात् और विद्यमान **अध्याय 11** से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"77-क. नियमों की सर्वोच्चता और विद्यमान विनियमों का निरसन.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों का अध्यारोही प्रभाव होगा और वे न्यास द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना पर, तब तक अभिभावी होंगे जब तक, ऐसे विनियम, उपविधियां या अधिसूचनाएं इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

(2) इस अधिनियम का प्रारंभ होने पर और तदधीन नियमों के प्रवर्तन पर, न्यास द्वारा जारी कोई विनियम, उपविधि या अधिसूचना, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत है, ऐसी असंगति के विस्तार तक निरसित होगी।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व न्यास द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना के अधीन की गयी कोई कार्रवाई या किया गया विनिश्चय, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन विरचित नियमों द्वारा उसे अभिव्यक्त रूप से अविधिमान्य न कर दिया जाये, विधिमान्य रहेगा।"।

अध्याय 3

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 में संशोधन

5. 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 की धारा 8 का संशोधन.- जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम

कहा गया है, की धारा 8 की उप-धारा (2) के विद्यमान खण्ड (iv) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "निदेशक, विधि जो" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान राज्य" से पूर्व विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला न्यायाधीश या" हटायी जायेगी।

6. 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

> **"9. प्राधिकरण के लिए पृथक् सामान्य सेवा सृजित करने की शक्ति.-** (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रशासन और शासन में एकरूपता सुनिश्चित करते हुए, प्राधिकरण के लिए एक पृथक् सामान्य सेवा सृजित कर सकेगी।
>
> (2) राज्य सरकार को उप-धारा (1) के अधीन सृजित सेवा की नाम पद्धति, संरचना और काडर सदस्य-संख्या अवधारित करने की शक्ति होगी और वह समय-समय पर उसे, जैसा वह समुचित समझे, उपांतरित या पुनरीक्षित कर सकेगी।
>
> (3) राज्य सरकार, इस धारा के अधीन सृजित सेवा के संबंध में,-
>
> (क) पदों के सृजन, उनके वर्गीकरण, नियंत्रण और भर्ती, पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति सहित सेवा के निबंधनों और शर्तों को मंजूर कर सकेगी; और
>
> (ख) सेवाओं में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं, नियुक्ति की रीतियां और कर्तव्य आदि विहित करते हुए इस धारा के अधीन सृजित सेवाओं पर लागू सामान्य सेवा नियमों को विरचित और प्रवर्तित कर सकेगी।"।

7. 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 की धारा 95 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 95 की विद्यमान उप-धारा (1) के

पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा (1-क) अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"(1-क) राज्य सरकार, सेवा की सदस्य संख्या, वेतन, शर्तें और परिलब्धियां, भर्ती, छुट्टी मंजूर करने, प्राधिकरण की सेवाओं में के किसी कर्मचारी की अवचार के लिए परिनिन्दा करने, अवनत करने, निलम्बित करने, या पदच्युत करने, उन्हें सेवाओं से अभिमुक्त करने और किसी अन्य कारण के लिए, धारा 9 के अधीन नियम बना सकेगी।"।

8. 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 की धारा 96-क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 96 के पश्चात् और विद्यमान धारा 97 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"**96-क. नियमों की सर्वोच्चता और विद्यमान विनियमों का निरसन.-** (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों का अध्यारोही प्रभाव होगा और वे प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना पर, तब तक अभिभावी होंगे जब तक, ऐसे विनियम, उपविधियां या अधिसूचनाएं इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

(2) इस अधिनियम का प्रारंभ होने पर और तदधीन नियमों के प्रवर्तन पर, प्राधिकरण द्वारा जारी कोई विनियम, उपविधि या अधिसूचना, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत है, ऐसी असंगति के विस्तार तक निरसित होगी।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना के अधीन की गयी

कोई कार्रवाई या किया गया विनिश्चय, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन विरचित नियमों द्वारा उसे अभिव्यक्त रूप से अविधिमान्य न कर दिया जाये, विधिमान्य रहेगा।"।

अध्याय 4

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 में संशोधन

9. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 8 का संशोधन.- जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 8 की उप-धारा (2) के विद्यमान खण्ड (iv) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "निदेशक, विधि जो" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान राज्य" से पूर्व विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला न्यायाधीश या" हटायी जायेगी।

10. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"9. प्राधिकरण के लिए पृथक् सामान्य सेवा सृजित करने की शक्ति.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रशासन और शासन में एकरूपता सुनिश्चित करते हुए, प्राधिकरण के लिए एक पृथक् सामान्य सेवा सृजित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार को उप-धारा (1) के अधीन सृजित सेवा की नाम पद्धति, संरचना और काडर सदस्य-संख्या अवधारित करने की शक्ति होगी और वह समय-समय पर उसे, जैसा वह समुचित समझे, उपांतरित या पुनरीक्षित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, इस धारा के अधीन सृजित सेवा के संबंध में,-

(क) पदों के सृजन, उनके वर्गीकरण, नियंत्रण और भर्ती, पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति सहित सेवा के निबंधनों और शर्तों को मंजूर कर सकेगी; और

(ख) सेवाओं में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं, नियुक्ति की रीतियां और कर्तव्य आदि विहित करते हुए इस धारा के अधीन सृजित सेवाओं पर लागू सामान्य सेवा नियमों को विरचित और प्रवर्तित कर सकेगी।"।

11. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 91 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 91 की विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा (1-क) अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"(1-क) राज्य सरकार, सेवा की सदस्य संख्या, वेतन, शर्तें और परिलब्धियां, भर्ती, छुट्टी मंजूर करने, प्राधिकरण की सेवाओं में के किसी कर्मचारी की अवचार के लिए परिनिन्दा करने, अवनत करने, निलम्बित करने, या पदच्युत करने, उन्हें सेवाओं से अभिमुक्त करने और किसी अन्य कारण के लिए, धारा 9 के अधीन नियम बना सकेगी।"।

12. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 92-क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 92 के पश्चात् और विद्यमान धारा 93 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"**92-क. नियमों की सर्वोच्चता और विद्यमान विनियमों का निरसन.-** (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों का अध्यारोही प्रभाव होगा और वे प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना पर, तब तक अभिभावी होंगे जब तक, ऐसे विनियम, उपविधियां

या अधिसूचनाएं इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

(2) इस अधिनियम का प्रारंभ होने पर और तदधीन नियमों के प्रवर्तन पर, प्राधिकरण द्वारा जारी कोई विनियम, उपविधि या अधिसूचना, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत है, ऐसी असंगति के विस्तार तक निरसित होगी।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना के अधीन की गयी कोई कार्रवाई या किया गया विनिश्चय, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन विरचित नियमों द्वारा उसे अभिव्यक्त रूप से अविधिमान्य न कर दिया जाये, विधिमान्य रहेगा।"।

अध्याय 5

अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 में संशोधन

13. 2013 के राजस्थान अधिनियम सं. 39 की धारा 8 का संशोधन.- अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 39), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 8 की उप-धारा (2) के विद्यमान खण्ड (iv) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "निदेशक, विधि, जो" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान राज्य" से पूर्व विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला न्यायाधीश या" हटायी जायेगी।

14. 2013 के राजस्थान अधिनियम सं. 39 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"9. प्राधिकरण के लिए पृथक् सामान्य सेवा सृजित करने की शक्ति.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट

किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रशासन और शासन में एकरूपता सुनिश्चित करते हुए, प्राधिकरण के लिए एक पृथक् सामान्य सेवा सृजित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार को उप-धारा (1) के अधीन सृजित सेवा की नाम पद्धति, संरचना और काडर सदस्य-संख्या अवधारित करने की शक्ति होगी और वह समय-समय पर उसे, जैसा वह समुचित समझे, उपांतरित या पुनरीक्षित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, इस धारा के अधीन सृजित सेवा के संबंध में,-

(क) पदों के सृजन, उनके वर्गीकरण, नियंत्रण और भर्ती, पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति सहित सेवा के निबंधनों और शर्तों को मंजूर कर सकेगी; और

(ख) सेवाओं में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं, नियुक्ति की रीतियां और कर्तव्य आदि विहित करते हुए इस धारा के अधीन सृजित सेवाओं पर लागू सामान्य सेवा नियमों को विरचित और प्रवर्तित कर सकेगी।"।

15. 2013 के राजस्थान अधिनियम सं. 39 की धारा 91 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 91 की विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा (1-क) अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"(1-क) राज्य सरकार, सेवा की सदस्य संख्या, वेतन, शर्तें और परिलब्धियां, भर्ती, छुट्टी मंजूर करने, प्राधिकरण की सेवाओं में के किसी कर्मचारी की अवचार के लिए परिनिन्दा करने, अवनत करने, निलम्बित करने, या पदच्युत करने, उन्हें सेवाओं से अभिमुक्त करने और किसी अन्य कारण के लिए, धारा 9 के अधीन नियम बना सकेगी।"।

16. 2013 के राजस्थान अधिनियम सं. 39 की धारा 92-क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 92 के पश्चात् और विद्यमान धारा 93 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"**92-क. नियमों की सर्वोच्चता और विद्यमान विनियमों का निरसन.-** (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विनियम में किसी अन्तर्विष्ट प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों का अध्यारोही प्रभाव होगा और वे प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना पर, तब तक अभिभावी होंगे जब तक, ऐसे विनियम, उपविधियां या अधिसूचनाएं इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

(2) इस अधिनियम का प्रारंभ होने पर और तदधीन नियमों के प्रवर्तन पर, प्राधिकरण द्वारा जारी कोई विनियम, उपविधि या अधिसूचना, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत है, ऐसी असंगति के विस्तार तक निरसित होगी।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना के अधीन की गयी कोई कार्रवाई या किया गया विनिश्चय, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन विरचित नियमों द्वारा उसे अभिव्यक्त रूप से अविधिमान्य न कर दिया जाये, विधिमान्य रहेगा।"।

अध्याय 6

उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 में संशोधन

17. 2023 के राजस्थान अधिनियम सं. 28 की धारा 8 का संशोधन.- उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम सं. 28), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम

कहा गया है, की धारा 8 की उप-धारा (2) के विद्यमान खण्ड (iv) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "निदेशक, विधि, जो" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान राज्य" से पूर्व विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला न्यायाधीश या" हटायी जायेगी।

18. 2023 के राजस्थान अधिनियम सं. 28 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"9. प्राधिकरण के लिए पृथक् सामान्य सेवा सृजित करने की शक्ति.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रशासन और शासन में एकरूपता सुनिश्चित करते हुए, प्राधिकरण के लिए एक पृथक् सामान्य सेवा सृजित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार को उप-धारा (1) के अधीन सृजित सेवा की नाम पद्धति, संरचना और काडर सदस्य-संख्या अवधारित करने की शक्ति होगी और वह समय-समय पर उसे, जैसा वह समुचित समझे, उपांतरित या पुनरीक्षित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, इस धारा के अधीन सृजित सेवा के संबंध में,-

(क) पदों के सृजन, उनके वर्गीकरण, नियंत्रण और भर्ती, पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति सहित सेवा के निबंधनों और शर्तों को मंजूर कर सकेगी; और

(ख) सेवाओं में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं, नियुक्ति की रीतियां और कर्तव्य आदि विहित करते हुए इस धारा के अधीन सृजित सेवाओं पर लागू सामान्य सेवा नियमों को विरचित और प्रवर्तित कर सकेगी।"।

19. 2023 के राजस्थान अधिनियम सं. 28 की धारा 95 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 95 की विद्यमान

उप-धारा (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा (1-क) अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"(1-क) राज्य सरकार, सेवा की सदस्य संख्या, वेतन, शर्तें और परिलब्धियां, भर्ती, छुट्टी मंजूर करने, प्राधिकरण की सेवाओं में के किसी कर्मचारी की अवचार के लिए परिनिन्दा करने, अवनत करने, निलम्बित करने, या पदच्युत करने, उन्हें सेवाओं से अभिमुक्त करने और किसी अन्य कारण के लिए, धारा 9 के अधीन नियम बना सकेगी।"।

20. 2023 के राजस्थान अधिनियम सं. 28 की धारा 96-क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 96 के पश्चात् और विद्यमान धारा 97 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"**96-क. नियमों की सर्वोच्चता और विद्यमान विनियमों का निरसन.-** (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों का अध्यारोही प्रभाव होगा और वे प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना पर, तब तक अभिभावी होंगे जब तक, ऐसे विनियम, उपविधियां या अधिसूचनाएं इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

(2) इस अधिनियम का प्रारंभ होने पर और तदधीन नियमों के प्रवर्तन पर, प्राधिकरण द्वारा जारी कोई विनियम, उपविधि या अधिसूचना, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत है, ऐसी असंगति के विस्तार तक निरसित होगी।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना के अधीन की गयी कोई कार्रवाई या किया गया विनिश्चय, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन विरचित नियमों द्वारा उसे अभिव्यक्त रूप से अविधिमान्य न कर दिया जाये, विधिमान्य रहेगा।"।

अध्याय 7

कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 में संशोधन

21. 2023 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 8 का संशोधन.- कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम सं. 31), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 8 की उप-धारा (2) के विद्यमान खण्ड (iv) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "निदेशक, विधि, जो" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान राज्य" से पूर्व विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला न्यायाधीश या" हटायी जायेगी।

22. 2023 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"9. प्राधिकरण के लिए पृथक सामान्य सेवा सृजित करने की शक्ति.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रशासन और शासन में एकरूपता सुनिश्चित करते हुए, प्राधिकरण के लिए एक पृथक् सामान्य सेवा सृजित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार को उप-धारा (1) के अधीन सृजित सेवा की नाम पद्धति, संरचना और काडर सदस्य-संख्या अवधारित करने की शक्ति होगी और वह समय-समय पर उसे, जैसा वह समुचित समझे, उपांतरित या पुनरीक्षित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, इस धारा के अधीन सृजित सेवा के संबंध में,-

(क) पदों के सृजन, उनके वर्गीकरण, नियंत्रण और भर्ती, पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति सहित सेवा के निबंधनों और शर्तों को मंजूर कर सकेगी; और

(ख) सेवाओं में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं, नियुक्ति की रीतियां और कर्तव्य आदि विहित करते हुए इस धारा के अधीन सृजित सेवाओं पर लागू सामान्य सेवा नियमों को विरचित और प्रवर्तित कर सकेगी।"।

23. 2023 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 95 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 95 की विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा (1-क) अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"(1-क) राज्य सरकार, सेवा की सदस्य संख्या, वेतन, शर्तें और परिलब्धियां, भर्ती, छुट्टी मंजूर करने, प्राधिकरण की सेवाओं में के किसी कर्मचारी की अवचार के लिए परिनिन्दा करने, अवनत करने, निलम्बित करने, या पदच्युत करने, उन्हें सेवाओं से अभिमुक्त करने और किसी अन्य कारण के लिए, धारा 9 के अधीन नियम बना सकेगी।"।

24. 2023 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 96-क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 96 के पश्चात् और विद्यमान धारा 97 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"**96-क. नियमों की सर्वोच्चता और विद्यमान विनियमों का निरसन.-** (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम

के अधीन बनाये गये नियमों का अध्यारोही प्रभाव होगा और वे प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना पर, तब तक अभिभावी होंगे जब तक, ऐसे विनियम, उपविधियां या अधिसूचनाएं इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

(2) इस अधिनियम का प्रारंभ होने पर और तदधीन नियमों के प्रवर्तन पर, प्राधिकरण द्वारा जारी कोई विनियम, उपविधि या अधिसूचना, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत है, ऐसी असंगति के विस्तार तक निरसित होगी।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना के अधीन की गयी कोई कार्रवाई या किया गया विनिश्चय, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन विरचित नियमों द्वारा उसे अभिव्यक्त रूप से अविधिमान्य न कर दिया जाये, विधिमान्य रहेगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 50 के अधीन राज्य पर यह कर्तव्य डाला है कि वह राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठायेगा। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार, राज्य की शक्ति तीन अलग-अलग शाखाओं में विभाजित है- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यह पृथक्करण यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि एक शाखा अन्य दो शाखाओं के कामकाज में हस्तक्षेप न करे।

राजस्थान राज्य में विकास प्राधिकरणों की स्थापना करने वाले विभिन्न अधिनियमों में ऐसा उपबंध अन्तर्विष्ट है जो यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकार किसी निदेशक विधि, जो जिला न्यायाधीश या राजस्थान राज्य विधिक सेवा के संयुक्त विधि परामर्शी से नीचे की रैंक का नहीं होगा, की नियुक्ति करेगी, जो प्राधिकरणों के आयुक्तों को सहायता एवं सलाह देगा। उक्त प्रावधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरोधाभासी हैं। हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 4677/1985 में अवमानना याचिका में आदेश पारित करते हुए कहा कि "प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवाओं के सेवारत न्यायिक अधिकारियों को डीडीए के विधिक सलाहकारों के रूप में नियुक्त किया जाना न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पूरी तरह से उल्लंघन है।"

चूंकि सरकार स्वयं शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का सम्मान करती है, इसलिए उसने राजस्थान राज्य में विकास प्राधिकरण विधियों की धारा 8 की उप-धारा (2) के विद्यमान खण्ड (iv) की अभिव्यक्ति “जिला न्यायाधीश” को हटाकर उपांतरित करने का निर्णय लिया है।

वर्तमान में, विभिन्न राजस्थान अधिनियमों के अधीन स्थापित विकास प्राधिकरणों या न्यासों के लिए कोई सामान्य पृथक् सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। सरकार यह समुचित मानती है कि विकास प्राधिकरणों या न्यासों के लिए विशिष्ट विशेषज्ञता वाले कार्मिकों की नियुक्ति के साथ अभियांत्रिकी सेवा या किसी अन्य सेवा जैसी एक पृथक् सेवा हो, जिससे कई फायदे मिल सकते हैं। इससे बाहरी सलाहकारों को नियुक्त करने या मानवशक्ति को प्रतिनियुक्ति पर भाड़े पर लेने की आवश्यकता कम हो जाती है। विकास प्राधिकरण और न्यास एक पृथक् सेवा स्थापित करके कुशल, टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाली लोक सेवाएं प्रदान करने की अपनी क्षमता को मजबूत कर सकते हैं, जिससे अंततः प्राधिकरणों की क्षमता निर्माण और निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

इसलिए, यह समीचीन समझा गया कि विशिष्ट सेवा के सृजन की दृष्टि से नगरीय सुधार न्यास को सशक्त बनाने के लिए विद्यमान धारा 24 को प्रतिस्थापित किया जाये और धारा 74 की उप-धारा (1) में एक नया खंड (गग) जोड़ा जाये। इसी प्रकार, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013, कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 और उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 में सामान्य सेवा नियमों को विरचित करने और लागू करने के प्रयोजनार्थ विद्यमान धारा 9 को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसे समस्त विकास प्राधिकरणों और नगरीय न्यासों पर लागू किया जा सकेगा। इस संशोधन के प्रयोजन को समुचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सरकार को सशक्त करने के क्रम में, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 और उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 की विद्यमान धारा 95 में एक नयी उप-धारा (1-क) अंत:स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रयोजन के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 और अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 91 में समान उप-धारा (1-क) अन्त:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

झाबर सिंह खर्रा,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

24. स्टाफ की संख्या, वेतन इत्यादि नियत करने की शक्ति- राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किसी सामान्य या विशेष निर्देश के अनुसार, प्रत्येक न्यास समय-समय पर राज्य सरकार की संस्वीकृति के लिए नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों और सेवकों की संख्या प्रस्तावित करेगी, जिसमें प्रत्येक अधिकारी या सेवक की सेवा की शर्तें और परिलब्धियां वर्णित की जायेगी। राज्य सरकार संशोधन के साथ या संशोधन के बिना ऐसा प्रस्ताव संस्वीकृत कर सकेगी और कोई भी नियुक्ति ऐसी संस्वीकृति की अनुपालना में के अलावा अन्यथा नहीं की जायेगी:

परन्तु न्यास उपरोक्तानुसार निर्देशित कर सकेगा कि एक व्यक्ति को किन्हीं दो या अधिक अधिकारियों के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया जायेगा।

XX XX XX XX XX

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

8. जयपुर विकास आयुक्त, निदेशकों, सचिव आदि की नियुक्ति.- (1) XX XX XX XX XX

(2) (i) से (iii) XX XX XX XX XX

(iv) निदेशक, विधि जो जिला न्यायाधीश या राजस्थान राज्य विधिक सेवा के संयुक्त विधि परामर्शी की रैंक से नीचे का नहीं होगा।

(3) से (5) XX XX XX XX XX

9. कर्मचारियों आदि की संख्या का अवधारण.- प्राधिकरण या उसके द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की जाने पर कार्यकारी समिति, समय-समय पर, धारा 8 में निर्दिष्ट अधिकारियों के सिवाए, कार्यकारी समिति,

किसी अन्य समिति, कृत्यकारी बोर्ड या किसी अन्य निकाय सहित प्राधिकरण के अधीन के समस्त अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों का सृजन जैसा वह आवश्यक समझे, मंजूर कर सकेगी। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें, तथा शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ऐसे होंगे जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं।

XX XX XX XX XX

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

8. जोधपुर विकास आयुक्त, निदेशकों, सचिव आदि की नियुक्ति.- (1) XX XX XX XX XX

(2) (i) से (iii) XX XX XX XX XX

(iv) निदेशक, विधि जो जिला न्यायाधीश या राजस्थान राज्य विधिक सेवा के संयुक्त विधि परामर्शी की रैंक से नीचे का नहीं होगा।

(3) से (5) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX XX

9. कर्मचारिवृंद आदि की संख्या का अवधारण.- प्राधिकरण या उसके द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की जाने पर कार्यकारी समिति, समय-समय पर, धारा 8 में निर्दिष्ट अधिकारियों के सिवाय, कार्यकारी समिति, किसी अन्य समिति, कृत्यकारी बोर्ड या किसी निकाय सहित प्राधिकरण के अधीन के समस्त अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों का सृजन जैसा वह आवश्यक समझे, सरकार के पूर्व अनुमोदन से मंजूर कर सकेगी। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें, संवर्ग संख्या और शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ऐसे होंगे जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

XX XX XX XX XX

अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 39) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

8. अजमेर विकास आयुक्त, निदेशकों, सचिव आदि की नियुक्ति.- (1) XX XX XX XX XX XX

(2) (i) से (iii) XX XX XX XX XX

(iv) निदेशक, विधि, जो जिला न्यायाधीश या राजस्थान राज्य विधिक सेवा के संयुक्त विधि परामर्शी की रैंक से नीचे का नहीं होगा।

(3) से (5) XX XX XX XX XX

9. कर्मचारिवृंद आदि की संख्या का अवधारण.- प्राधिकरण या उसके द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की जाने पर कार्यकारी समिति, समय-समय पर, धारा 8 में निर्दिष्ट अधिकारियों के सिवाय, कार्यकारी समिति, किसी अन्य समिति, कृत्यकारी बोर्ड या किसी निकाय सहित प्राधिकरण के अधीन के समस्त अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों का सृजन जैसा वह आवश्यक समझे, सरकार के पूर्व अनुमोदन से मंजूर कर सकेगी। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें, संवर्ग संख्या और शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ऐसे होंगे जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

XX XX XX XX XX

उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम सं. 28) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

8. उदयपुर विकास आयुक्त, निदेशकों, सचिव आदि की नियुक्ति.- (1) XX XX XX XX XX XX

(2) (i) से (iii) XX XX XX XX XX

(iv) निदेशक, विधि, जो जिला न्यायाधीश या राजस्थान राज्य विधिक सेवा के संयुक्त विधि परामर्शी की रैंक से नीचे का नहीं होगा।

(3) से (5) XX XX XX XX XX

9. कर्मचारिवृंद आदि की संख्या का अवधारण.- प्राधिकरण या उसके द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की जाने पर कार्यकारी समिति, समय-समय पर, धारा 8 में निर्दिष्ट अधिकारियों के सिवाय, कार्यकारी समिति, किसी अन्य समिति, कृत्यकारी बोर्ड या किसी निकाय सहित प्राधिकरण के अधीन के समस्त अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों का सृजन जैसा वह आवश्यक समझे, सरकार के पूर्व अनुमोदन से मंजूर कर सकेगी। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें, संवर्ग संख्या और शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ऐसे होंगे जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

XX XX XX XX XX

कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम सं. 31) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

8. कोटा विकास आयुक्त, निदेशकों, सचिव आदि की नियुक्ति.- (1) XX XX XX XX XX XX

(2) (i) से (iii) XX XX XX XX XX

(iv) निदेशक, विधि, जो जिला न्यायाधीश या राजस्थान राज्य विधिक सेवा के संयुक्त विधि परामर्शी की रैंक से नीचे का नहीं होगा।

(3) से (5) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

9. कर्मचारिवृंद आदि की संख्या का अवधारण.- प्राधिकरण या उसके द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की जाने पर कार्यकारी समिति, समय-समय पर, धारा 8 में निर्दिष्ट अधिकारियों के सिवाय, कार्यकारी समिति, किसी अन्य समिति, कृत्यकारी बोर्ड या किसी निकाय सहित प्राधिकरण के अधीन के समस्त अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों का

सृजन जैसा वह आवश्यक समझे, सरकार के पूर्व अनुमोदन से मंजूर कर सकेगी। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें, संवर्ग संख्या और शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ऐसे होंगे जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

XX XX XX XX XX

Bill No.10 of 2025

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN LAWS (AMENDMENT) BILL, 2025

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, the Jaipur Development Authority Act, 1982, the Jodhpur Development Authority Act, 2009, the Ajmer Development Authority Act, 2013; and to amend the Udaipur Development Authority Act, 2023 and the Kota Development Authority Act, 2023 .

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Laws (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall come into force at once.

CHAPTER-II
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT ACT, 1959

2. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- For the existing section 24 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**24. Power to create separate common service for the Trust.-** (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the State

Government may, by notification in the Official Gazette, create a separate common service for the Trust, ensuring uniformity in administration and governance.

(2) The State Government shall have the power to determine the nomenclature, structure, and cadre strength of the service created under sub-section (1), and may, from time to time, modify or revise the same as it considers appropriate.

(3) The State Government may, in respect of the service created under this section,-

(a) sanction the creation of posts, their classification, control, and the terms and conditions of service, including recruitment, promotion, and retirement; and

(b) frame and enforce common service rules, applicable to the services created under this section, prescribing the qualifications, methods of appointment, and duties of persons to be appointed to the services, etc. .".

3. Amendment of section 74, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- In sub-section (1) of section 74 of the principal Act, after the existing clause (c) and before the existing clause (d), the following new clause (cc) shall be inserted, namely:-

"(cc) for prescribing strength, salary, the conditions of service and emoluments, recruitment, granting leave, censuring, reducing, suspending or dismissing an employee of any of the services of the Trust for misconduct and dispensing with their services for any other reason under section 24.;".

4. Insertion of section 77-A, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- After the existing section 77 and before the existing **CHAPTER-XI** of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**77-A. Supremacy of rules and Repeal of Existing Regulations.**- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law or regulation for the time being in force, the rules made under this Act shall have overriding effect and shall prevail over any regulation, bylaw, or notification issued by the Trust, insofar as such regulations, bylaws, or notifications are inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(2) Upon the commencement of this Act and the enforcement of rules thereunder, any regulation, bylaw, or notification issued by the Trust that is inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder shall stand repealed to the extent of such inconsistency.

(3) Any action taken or decision made under any regulation, bylaw, or notification issued by the Trust prior to the commencement of this Act shall remain valid unless expressly invalidated by the rules framed under this Act.".

CHAPTER-III
AMENDMENT IN THE JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 1982

5. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- For the existing clause (iv) of sub-section (2) of section 8 of the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, after the existing expression "below the rank of" and before the existing expression "Joint Legal Remembrancer", the expression "District Judge, or" shall be deleted.

6. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- For the existing section 9 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**9. Power to create separate common service for the Authority.**- (1) Notwithstanding anything contained

in any other law for the time being in force, the State Government may, by notification in the Official Gazette, create a separate common service for the Authority, ensuring uniformity in administration and governance.

(2) The State Government shall have the power to determine the nomenclature, structure, and cadre strength of the service created under sub-section (1), and may, from time to time, modify or revise the same as it considers appropriate.

(3) The State Government may, in respect of the service created under this section,-

(a) sanction the creation of posts, their classification, control, and the terms and conditions of service, including recruitment, promotion, and retirement; and

(b) frame and enforce common service rules, applicable to the services created under this section, prescribing the qualifications, methods of appointment, and duties of persons to be appointed to the services, etc. .".

7. Amendment of section 95, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- After the existing sub-section (1) and before the existing sub-section (2) of section 95 of the principal Act, the following new sub-section (1-A) shall be inserted, namely:-

"(1-A) The State Government may make rules for prescribing strength, salary, the conditions of service and emoluments, recruitment, granting leave, censuring, reducing, suspending or dismissing an employee of any of the services of the Authority for misconduct and dispensing with their services for any other reason under section 9.".

8. Insertion of section 96-A, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- After the existing section 96 and before the existing section 97 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**96-A. Supremacy of rules and Repeal of Existing Regulations.-** (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law or regulation for the time being in force, the rules made under this Act shall have overriding effect and shall prevail over any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority, insofar as such regulations, bylaws, or notifications are inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(2) Upon the commencement of this Act and the enforcement of rules thereunder, any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority that is inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder shall stand repealed to the extent of such inconsistency.

(3) Any action taken or decision made under any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority prior to the commencement of this Act shall remain valid unless expressly invalidated by the rules framed under this Act.".

CHAPTER–IV
AMENDMENT IN THE JODHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2009

9. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 2 of 2009.- For the existing clause (iv) of sub-section (2) of section 8 of the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, after the existing expression "below the rank of" and before the existing expression "a Joint Legal Remembrancer", the expression " a District Judge, or" shall be deleted.

10. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 2 of 2009.- For the existing section 9 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**9. Power to create separate common service for the Authority.-** (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the State Government may, by notification in the Official Gazette, create a separate common service for the Authority, ensuring uniformity in administration and governance.

(2) The State Government shall have the power to determine the nomenclature, structure, and cadre strength of the service created under sub-section (1), and may, from time to time, modify or revise the same as it considers appropriate.

(3) The State Government may, in respect of the service created under this section,-

(a) sanction the creation of posts, their classification, control, and the terms and conditions of service, including recruitment, promotion, and retirement; and

(b) frame and enforce common service rules, applicable to the services created under this section, prescribing the qualifications, methods of appointment, and duties of persons to be appointed to the services, etc..".

11. Amendment of section 91, Rajasthan Act No. 2 of 2009.- After the existing sub-section (1) and before the existing sub-section (2) of section 91 of the principal Act, the following new sub-section (1-A) shall be inserted, namely:-

"(1-A) The State Government may make rules for prescribing strength, salary, the conditions of service and emoluments, recruitment, granting leave, censuring, reducing, suspending or dismissing an employee of any of

the services of the Authority for misconduct and dispensing with their services for any other reason under section 9.".

12. Insertion of section 92-A, Rajasthan Act No. 2 of 2009.- After the existing section 92 and before the existing section 93 of the principal Act, the following new section shall be inserted namely:-

"**92-A. Supremacy of rules and Repeal of Existing Regulations.-** (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law or regulation for the time being in force, the rules made under this Act shall have overriding effect and shall prevail over any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority, insofar as such regulations, bylaws, or notifications are inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(2) Upon the commencement of this Act and the enforcement of rules thereunder, any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority that is inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder shall stand repealed to the extent of such inconsistency.

(3) Any action taken or decision made under any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority prior to the commencement of this Act shall remain valid unless expressly invalidated by the rules framed under this Act.".

CHAPTER-V
AMENDMENT IN THE AJMER DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2013

13. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 39 of 2013.- For the existing clause (iv) of sub-section (2) of section 8 of the Ajmer Development Authority Act, 2013 (Act No. 39 of

2013), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, after the existing expression “below the rank of” and before the existing expression “a Joint Legal Remembrancer”, the expression “ a District Judge or” shall be deleted.

14. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 39 of 2013.- For the existing section 9 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“**9. Power to create separate common service for the Authority.**- (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the State Government may, by notification in the Official Gazette, create a separate common service for the Authority, ensuring uniformity in administration and governance.

(2) The State Government shall have the power to determine the nomenclature, structure, and cadre strength of the service created under sub-section (1), and may, from time to time, modify or revise the same as it considers appropriate.

(3) The State Government may, in respect of the service created under this section,-

(a) sanction the creation of posts, their classification, control, and the terms and conditions of service, including recruitment, promotion, and retirement; and

(b) frame and enforce common service rules, applicable to the services created under this section, prescribing the qualifications, methods of appointment, and duties of persons to be appointed to the services, etc..”.

15. Amendment of section 91 of Rajasthan Act No. 39 of 2013.- After the existing sub-section (1) and before the existing sub-section (2) of section 91 of the principal Act, the following new sub-section (1-A) shall be inserted, namely:-

"(1-A) The State Government may make rules for prescribing strength, salary, the conditions of service and emoluments, recruitment, granting leave, censuring, reducing, suspending or dismissing an employee of any of the services of the Authority for misconduct and dispensing with their services for any other reason under section 9.".

16. Insertion of section 92-A, Rajasthan Act No. 39 of 2013.- After the existing section 92 and before the existing section 93 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**92-A. Supremacy of rules and Repeal of Existing Regulations.-** (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law or regulation for the time being in force, the rules made under this Act shall have overriding effect and shall prevail over any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority, insofar as such regulations, bylaws, or notifications are inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(2) Upon the commencement of this Act and the enforcement of rules thereunder, any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority that is inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder shall stand repealed to the extent of such inconsistency.

(3) Any action taken or decision made under any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority prior to the commencement of this Act shall remain valid unless expressly invalidated by the rules framed under this Act.".

CHAPTER-VI
AMENDMENT IN THE UDAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2023

17. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 28 of 2023.- For the existing clause (iv) of sub-section (2) of section 8 of the Udaipur Development Authority Act, 2023 (Act No. 28 of 2023), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, after the existing expression "below the rank of" and before the existing expression "a Joint Legal Remembrancer", the expression "a District Judge or" shall be deleted.

18. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 28 of 2023.- For the existing section 9 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**9. Power to create separate common service for the Authority.-** (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the State Government may, by notification in the Official Gazette, create a separate common service for the Authority, ensuring uniformity in administration and governance.

(2) The State Government shall have the power to determine the nomenclature, structure, and cadre strength of the service created under sub-section (1), and may, from time to time, modify or revise the same as it considers appropriate.

(3) The State Government may, in respect of the service created under this section,-

(a) sanction the creation of posts, their classification, control, and the terms and conditions of service, including recruitment, promotion, and retirement; and

(b) frame and enforce common service rules, applicable to the services created under this section, prescribing the qualifications, methods of appointment,

and duties of persons to be appointed to the services, etc..".

19. Amendment of section 95 of Rajasthan Act No. 28 of 2023.- After the existing sub-section (1) and before the existing sub-section (2) of section 95 of the principal Act, the following new sub-section (1-A) shall be inserted, namely:-

"(1-A) The State Government may make rules for prescribing strength, salary, the conditions of service and emoluments, recruitment, granting leave, censuring, reducing, suspending or dismissing an employee of any of the services of the Authority for misconduct and dispensing with their services for any other reason under section 9.".

20. Insertion of section 96-A, Rajasthan Act No. 28 of 2023.- After the existing section 96 and before the existing section 97 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**96-A. Supremacy of rules and Repeal of Existing Regulations.-** (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law or regulation for the time being in force, the rules made under this Act shall have overriding effect and shall prevail over any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority, insofar as such regulations, bylaws, or notifications are inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(2) Upon the commencement of this Act and the enforcement of rules thereunder, any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority that is inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder shall stand repealed to the extent of such inconsistency.

(3) Any action taken or decision made under any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority

prior to the commencement of this Act shall remain valid unless expressly invalidated by the rules framed under this Act.".

CHAPTER-VII
AMENDMENT IN THE KOTA DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2023

21. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 31 of 2023.- For the existing clause (iv) of sub-section (2) of section 8 of the Kota Development Authority Act, 2023 (Act No. 31 of 2023), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, after the existing expression "below the rank of" and before the existing expression "a Joint Legal Remembrancer", the expression "a District Judge or" shall be deleted.

22. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 31 of 2023.- For the existing section 9 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**9. Power to create separate common service for the Authority.-** (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the State Government may, by notification in the Official Gazette, create a separate common service for the Authority, ensuring uniformity in administration and governance.

(2) The State Government shall have the power to determine the nomenclature, structure, and cadre strength of the service created under sub-section (1), and may, from time to time, modify or revise the same as it considers appropriate.

(3) The State Government may, in respect of the service created under this section,-

(a) sanction the creation of posts, their classification, control, and the terms and conditions of service, including recruitment, promotion, and retirement; and

(b) frame and enforce common service rules, applicable to the services created under this section, prescribing the qualifications, methods of appointment, and duties of persons to be appointed to the services, etc..".

23. Amendment of section 95, Rajasthan Act No. 31 of 2023.- After the existing sub-section (1) and before the existing sub-section (2) of section 95 of the principal Act, the following new sub-section (1-A) shall be inserted, namely:-

"(1-A) The State Government may make rules for prescribing strength, salary, the conditions of service and emoluments, recruitment, granting leave, censuring, reducing, suspending or dismissing an employee of any of service of the Authority for misconduct and dispensing with their services for any other reason under section 9.".

24. Insertion of section 96-A, Rajasthan Act No. 31 of 2023.- After the existing section 96 and before the existing section 97 of the principal Act the following new section shall be inserted therein, namely:-

"**96-A. Supremacy of rules and Repeal of Existing Regulations.**- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law or regulation for the time being in force, the rules made under this Act shall have overriding effect and shall prevail over any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority, insofar as such regulations, bylaws, or notifications are inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(2) Upon the commencement of this Act and the enforcement of rules thereunder, any regulation, bylaw, or notification issued by the that is inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder shall stand repealed to the extent of such inconsistency.

(3) Any action taken or decision made under any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority prior to the commencement of this Act shall remain valid unless expressly invalidated by the rules framed under this Act.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Constitution of India cast a duty upon State under Article 50 that it shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State. According to the doctrine of separation of powers, the State power is divided into three different branches- legislative, executive, and judiciary. This separation is essential to ensure that one branch does not interfere with the working of the other two branches.

The various Acts establishing Development Authorities in the State of Rajasthan, contain a provision that provides that the State Government shall appoint a Director Law who shall not be below the rank of a District Judge or a Joint Legal Remembrancer of the Rajasthan State Legal Service who will aid and advise the Commissioners of Authorities. The said provisions have been contrary to the doctrine of separation of powers. Recently, the Hon'ble Supreme Court while passing an order in Contempt Petition in Writ Petition No. 4677/1985 observed that "*Prima facie* we are of the view that appointing serving judicial officers of Delhi Higher Judicial Services as legal advisors of the DDA completely violates the principle of independence of judiciary and the doctrine of separation of powers.".

As the Government itself respects the doctrine of separation of powers, it decides to modify the existing clause (iv) of sub-section (2) of section 8 of the Development Authorities Laws in the State of Rajasthan, by deleting the expression "District Judge".

Presently, the Development Authorities or Trusts established under various Rajasthan Acts are not having any common separate services for them. The Government believes it appropriate that a separate service such as Engineering Service or any other service for them having induction of personnel with specialized expertise for Development Authorities or Trusts, can offer several benefits. This reduces the need to hire external

consultants or deploying manpower on deputation. By establishing a separate service, Development Authority and Trust can strengthen their ability to provide efficient, sustainable and high-quality public services, ultimately enhance capacity building of authorities and quality of life for residents.

Therefore, it was considered expedient, to substitute the existing section 24 and insert a new clause (cc) under sub-section (1) of Section 74 to empower Urban Improvement Trust in respect of creation of specialized Service. Likewise, the existing section 9 is proposed to be substituted in the Jaipur Development Authority Act, 1982; the Jodhpur Development Authority Act, 2009, the Ajmer Development Authority Act, 2013, the Kota Development Authority Act, 2023 and the Udaipur Development Authority Act, 2023 for the purposes of framing and enforcing common service rules which may be applied to all Development Authorities and Urban Trusts. In order to empower the Government to make rules for properly carrying out of the purpose of this amendment, a new sub-section (1-A) is proposed to be inserted in existing section 95 of the Jaipur Development Authority Act, 1982, the Kota Development Authority Act, 2023 and the Udaipur Development Authority Act, 2023. The same sub-section (1-A) is proposed to be inserted in section 91 of the Jodhpur Development Authority Act, 2009 and the Ajmer Development Authority Act, 2013 for the purpose.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

झाबर सिंह खर्रा,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT ACT, 1959
(Act No. 35 of 1959)

XX XX XX XX XX XX

24. Power to fix strength, salaries etc. of staff.- Subject to any general or special direction issued by the State Government every Trust shall, from time to time propose for the sanction of the State Government the strength of officers and servants to be appointed, setting forth the conditions of service and emoluments of each officer or servant. The State Government may sanction such proposal with or without amendment and no appointment shall be made otherwise than in accordance with such sanction:

Provided that the Trust may, subject as aforesaid, direct that one person shall be appointed to discharge the duties of any two or more offices.

XX XX XX XX XX XX

EXTRACTS TAKEN FROM THE JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 1982

XX XX XX XX XX XX

8. Appointment of Jaipur Development Commissioner, Directors, Secretary etc..- (1) xx xx xx xx

(2) (i) to (iii) xx xx xx xx xx

(iv) Director, Law who shall not be below the rank of District Judge, or Joint Legal Remembrancer from the Rajasthan State Legal Service.

(3) to (5) xx xx xx xx xx

9. Determination of strength of the Staff etc.- The Authority or in case the powers are delegated by it, the Executive Committee may, from time to time, sanction creation of posts of all other officers and servants, except the officers referred to in section 8, subordinate to the Authority including Executive Committee, any other Committee, any Functional Board or any other body as it thinks necessary. The conditions of appointment

and service, and the powers, functions and duties of such officers and servants shall be such as may be determined by regulations.

XX XX XX XX XX XX

EXTRACTS TAKEN FROM THE JODHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2009

XX XX XX XX XX XX

8. Appointment of Jodhpur Development Commissioner, Directors, Secretary, etc..-(1) xx xx xx

(2) (i) to (iii) xx xx xx xx xx

(iv) Director Law who shall not be below the rank of a District Judge, or a Joint Legal Remembrancer from the Rajasthan State Legal Service.

(3) to (5) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

9. Determination of strength of the Staff, etc..- The Authority or in case the powers are delegated by it, the Executive Committee may, from time to time, sanction creation of posts of all other officers and servants with the prior approval of the Government, except the officers referred to in section 8, subordinate to the Authority including Executive Committee, any other Committee, any Functional Board or any other body as it thinks necessary. The conditions of appointment and service, strength of the cadre and the powers, functions and duties of such officers and servants shall be such as may be determined by regulations.

XX XX XX XX XX XX

EXTRACTS TAKEN FROM THE AJMER DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2013

XX XX XX XX XX XX

8. Appointment of Ajmer Development Commissioner, Directors, Secretary, etc..- (1) xx xx xx

(2) (i) to (iii) xx xx xx xx xx

(iv) Director, Law who shall not be below the rank of a District Judge or a Joint Legal Remembrancer of the Rajasthan State Legal Service.

(3) to (5) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

9. Determination of strength of the Staff, etc..-The Authority or in case the powers are delegated by it, the Executive Committee may, from time to time, sanction creation of posts of all other officers and servants with the prior approval of the Government, except the officers referred to in section 8, subordinate to the Authority including Executive Committee, any other Committee, any Functional Board or any other body as it thinks necessary. The conditions of appointment and service, strength of the cadre and the powers, functions and duties of such officers and servants shall be such as may be determined by regulations.

XX XX XX XX XX XX

EXTRACTS TAKEN FROM THE UDAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2023

XX XX XX XX XX XX

8. Appointment of Udaipur Development Commissioner, Directors, Secretary, etc..-(1) xx xx xx

(2) (i) to (iii) xx xx xx xx

(iv) Director, Law who shall be not below the rank of a District Judge or a Joint Legal Remembrancer of the Rajasthan State Legal Service.

(3) to (5) xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

9. Determination of strength of the Staff, etc..- The Authority or in case the powers are delegated by it, the Executive Committee may, from time to time, sanction creation of posts of all other officers and servants with the prior approval of the Government, except the officers referred to in section 8,

subordinate to the Authority including Executive Committee, any other committee, any Functional Board or any other body as it thinks necessary. The conditions of appointment and service, strength of the cadre and the powers, functions and duties of such officers and servants shall be such as may be determined by regulations.

XX XX XX XX XX XX

EXTRACTS TAKEN FROM THE KOTA DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2023

XX XX XX XX XX XX

8. Appointment of Kota Development Commissioner, Directors, Secretary, etc..-(1) xx xx xx xx

(2) (i) to (iii) xx xx xx xx

(iv) Director, Law who shall be not below the rank of a District Judge or a Joint Legal Remembrancer of the Rajasthan State Legal Service.

(3) to (5) xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

9. Determination of strength of the Staff, etc..- The Authority or in case the powers are delegated by it, the Executive Committee may, from time to time, sanction creation of posts of all other officers and servants with the prior approval of the Government, except the officers referred to in section 8, subordinate to the Authority including Executive Committee, any other committee, any Functional Board or any other body as it thinks necessary. The conditions of appointment and service, strength of the cadre and the powers, functions and duties of such officers and servants shall be such as may be determined by regulations.

XX XX XX XX XX XX

Bill No.10 of 2025

THE RAJASTHAN LAWS (AMENDMENT) BILL, 2025

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, the Jaipur Development Authority Act, 1982, the Jodhpur Development Authority Act, 2009, the Ajmer Development Authority Act, 2013; and to amend the Udaipur Development Authority Act, 2023 and the Kota Development Authority Act, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

BHARAT BHUSHAN SHARMA,
Principal Secretary.

(Jhabar singh Kharra, **Minister-Incharge**)

2025 का विधेयक सं.10

राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए; तथा उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 और कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(झाबर सिंह खर्रा, **प्रभारी मंत्री)**